चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुंडी श्री दीपक कुमार एवं पैरोकार आरक्षी तेजबली द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर श्री वीरेश कुमार सोनकर द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/25 धारा 13 जी एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. राज नारायण यादव पुत्र गोरेलाल 2.बलराम सिंह पुत्र जय लाल सिंह निवासी जवाहर नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 3.सुरेंद्र मिश्रा पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी ऐलहा बढैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 4. सरफराज पुत्र सत्तार अली निवासी महावीर नगर कस्बा मानिकपुर 5.रहीम खान पुत्र जमालुद्दीन निवासी शिवनगर कस्बा मानिकपुर 6.सनी चौधरी पुत्र संतोष निवासी जवाहर नगर कस्बा मानिकपुर जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट प्रत्येक को 100/-100/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(3) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा,प्रभारी मानिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 21.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 188/26 धारा 376,34,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.हनुमान उर्फ संदीप पुत्र मुनि 2. रामभरोसे पुत्र रघुवा उर्फ राघव उर्फ शारदा प्रसाद को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालय के आदेश से दिनांक 08.09.2022 को वादिया के प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियुक्तगणों द्वारा वादिया के साथ खेत में शौंच के दौरान जबरजस्ती दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गयी थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 188/2022 धारा 376,34,506 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री कमलेश कुमार द्वारा सम्पादित की गई तथा आरोपी अभियुक्तों को दिनांक 06.01.2023 को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 23.01.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(4) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कर्वी श्री अभय राज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 21.09.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 305/2002 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अनूप कुमार मिश्रा पुत्र अर्जुन लाल मिश्रा निवासी

4बी/31 जोधेवाल तेलियरगंज थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज को न्यायालय उठने तक की सजा व 800/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(5) आज दिनाँक 21.09.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने - अपने थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने का भरोसा दिया गया तथा पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबा एवं दो/चार पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।